रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1583] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ज्येष्ठ 15, 1939
No. 1583] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/JYAISTHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

आय-कर

का.आ. 1789(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 के खंड (38) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 2004 को या उसके पश्चात् किए गए, निम्नलिखित से भिन्न, साधारण शेयरों के अर्जन संबंधी सभी संव्यवहारों को, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य नहीं है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(क) जहां किसी ऐसी कंपनी में, जिसके साधारण शेयरों का भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में बारम्बार व्यापार नहीं होता है, सूचीबद्ध विद्यमान साधारण शेयर का अर्जन अधिमानी निर्गमन के माध्यम से किया जाता है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी कंपनी में सूचीबद्ध ऐसे साधारण शेयरों के अर्जन को लागू नहीं होगी :--

(i) जिनका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदन किया गया है ;

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी अनिवासी द्वारा ;

(iii) आय-कर अधिनियम की धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विनिधान निधि द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट किसी जोखिम पूंजी निधि द्वारा या किसी अर्हित संस्थागत क्रेता द्वारा ;

(iv) ऐसे अधिमानी निर्गमन के माध्यम से, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय 7 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।

(ख) जहां किसी कंपनी में सूचीबद्ध विद्यमान साधारण शेयर के अर्जन का संव्यवहार भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से नहीं हुआ है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के उपबंधों के अनुसार, यदि लागू हों, किए गए किसी कंपनी में सूचीबद्ध साधारण शेयरों के निम्नलिखित अर्जन को लागू नहीं होगी :--

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट निर्गमन से भिन्न किसी कंपनी द्वारा शेयर के निर्गमन के माध्यम से अर्जन;

(ii) अनुसूचित बैंकों, पुन:निर्माण या प्रतिभूतिकरण कंपनियों या लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके कारबार के साधारण अनुक्रम के दौरान अर्जन ;

(iii) ऐसा अर्जन, जिसका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदन किया गया है ;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999 के अधीन विरचित कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम के अधीन अर्जन ;

(v) भारत सरकार के विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी अनिवासी द्वारा अर्जन ;

(vi) जहां कंपनी के शेयरों का अर्जन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और ग्रहण करना) विनियम, 2011 के अधीन किया गया है ;

(vii) सरकार से अर्जन ;

(viii) आय-कर अधिनियम की धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में निर्दिष्ट विनिधान निधि द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी निधि द्वारा या अर्हित संस्थागत क्रेता द्वारा अर्जन ;

(ix) आय-कर अधिनियम की धारा 47 या धारा 50ख में निर्दिष्ट अंतरण की रीति द्वारा अर्जन, यदि ऐसे शेयरों के पूर्वतम स्वामी ने उन्हें खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) [खंड (क) या खंड (ख) के परंतुक में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न] में निर्दिष्ट किसी रीति द्वारा अर्जित नहीं किया गया है ।

(ग) उस तारीख से, जिसको कंपनी के, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सूची से हटा दिया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से, जिसको कंपनी को दोबारा से किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी कंपनी के साधारण शेयर का अर्जन ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "बारम्बार व्यापृत शेयर" से किसी कंपनी के ऐसे शेयर अभिप्रेत हैं, जिनका उस कलैंडर मास से, जिसमें अर्जन और अंतरण किया जाता है, पूर्ववर्ती बारह कलैंडर मास के दौरान किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यापृत आवर्त, ऐसे वर्ग की कंपनी के कुल शेयरों का कम से कम दस प्रतिशत है :

परंतु जहां कंपनी के विशिष्ट वर्ग के शेयरों की शेयर पूंजी ऐसी पूरी अवधि के दौरान समान नहीं है, वहां कंपनी के ऐसे वर्ग के कुल शेयरों की भारित औसत संख्या कुल शेयरों का प्रतिनिधित्व करेगी ।

(ख) "सूचीबद्ध" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अभिप्रेत है ।

(ग) "अधिमानी निर्गमन" और "अर्हित संस्थागत क्रेता" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के विनियम (2) के उपविनियम (1) में क्रमश: उनका है ।

(घ) "लोक वित्तीय संस्था" और "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनका है ।

(ङ) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है ;

(च) "पुनर्गठन कंपनी" और "प्रतिभूतिकरण कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा (1) में क्रमश: उनका है ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों को लागू होगी।

[फा. सं. 43/2017/फा. सं. 370142/09/2017-टी.पी.एल.]

अभिषेक गौतम, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)